

क्रमांक:.....

फार्म मूल्य रू0 1000/- अनुलिपि सहित

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-06, नौएडा -201301

योजना कोड संख्या: समाजवादी आवासीय योजना 2015-2016 (एच-01)

पंजीयन प्रारम्भ होने की तिथि: **02.02.2016**

पंजीयन समाप्ति की तिथि: **03.03.2016**

सैक्टर-117,118 एवं 122 में निर्माणाधीन टाईप-1 एवं टाईप-2 फ्लैट

आवेदक का इसी
प्रपत्र पर बैंक
द्वारा सत्यापित
छायाचित्र

आवेदन - प्रपत्र

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा ।

मैं..... आयु.....

वर्ष.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

निवासी.....

.....

स्थायी पता.....

.....

पैन न0.....दूरभाष न0.....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता

हूँ/करती हूँ कि:

- 1- मेरा उपरोक्त नाम, पता व अन्य विवरण सत्य व सही है ।
- 2- यह आवेदन प्रपत्र नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सैक्टर-06, नौएडा-201301 की योजना कोड संख्या: समाजवादी आवासीय योजना 2015-2016 (एच-01) के अंतर्गत सैक्टर-117,118 एवं 122 में निर्माणाधीन टाईप-1(.....)एवं टाईप-2(.....)फ्लैट आबंटन हेतु प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ, पर निशान लगाना सुनिश्चित करें ।
- 3- टाईप-1 फ्लैट के लिए रू0..... बैंक ड्राफ्ट संख्या:..... दिनांक..... बैंक..... देयता, शाखा..... के रूप में संलग्न है ।
- 4- टाईप-2 फ्लैट के लिए रू0..... बैंक ड्राफ्ट संख्या:..... दिनांक..... बैंक..... देयता, शाखा..... के रूप में संलग्न है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

5- आवेदक के असफल रहने की दशा में पंजीकरण धनराशि की वापसी हेतु बैंक खाते का विवरण:-

बैंक खाता संख्या:.....बैंक का नाम.....

बैंक शाखा का पता.....

6- मेरे,पत्नी/पति तथा/अथवा आश्रित बच्चों के नाम पूर्ण रूप में तथा/अथवा आशिक रूप में कोई भी आवासीय भूखण्ड/फ्लैट पट्टे अथवा किराया क्रय अभिधृति अनुबन्ध के आधार पर प्राधिकरण द्वारा आबंटित नहीं हुआ है ।

7- यह है कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मैंने/अथवा मेरी पत्नी/पति/आश्रित बच्चो ने नौएडा क्षेत्र में पूर्व में कोई आवासीय भूखण्ड/फ्लैट का आबंटन प्राप्त कर अन्तरित नहीं किया है ।

8- मैंने विवरणिका में उल्लिखित सभी नियम व शर्तें पढ़ ली है तथा मैं पूर्णतः सन्तुष्ट हूँ । मैं इस आवेदन प्रपत्र को प्रस्तुत करने हेतु सैक्टर-117,118 एवं 122 में निर्माणाधीन ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 फ्लैट के आबंटन के लिए सक्षम हूँ ।

9- मैं इस आवेदन प्रपत्र की विवरणिका में उल्लेखित नियम एवं शर्तों को मानने हेतु अपनी सहमति तथा स्वीकृति देता/देती हूँ ।

10- इस आवेदन प्रपत्र में दिये गये अंश मेरे पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सब सत्य व सही है । फ्लैट के आबंटन हेतु किसी भी वांछित तथ्य/सूचना को छिपाया,दबाया तथा मिथ्यारूपण नहीं किया गया है । यदि यह पाया जाता है कि मैंने कोई भी तथ्य छिपाया तथा/अथवा असत्य सूचना व विवरण इस आवेदन प्रपत्र पर देता/देती हूँ तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आबंटित किये गये फ्लैट का निरस्तीरकण कर प्राधिकरण के पक्ष में जमा समस्त धनराशि का समर्पण कर फ्लैट के कब्जे की वापसी तथा विधिक प्रलेखों का पर्यावसान करें ।

11- फ्लैटों की कीमत अन्ततिम तथा आवंटन की दशा में आवंटी को फ्लैट की अंतिम कीमत का भुगतान करना होगा तथा किसी प्रकार का तर्क अंतिम कीमत के संबंध में मान्य नहीं होगा।

12- मेरी पारिवारिक इकाई के सदस्यों का विवरण:-

क्रम संख्या	नाम	आवेदक से सम्बंध	उम्र

आवेदक के हस्ताक्षर
(बैंक अधिकारी से सत्यापित)

नौएडा में सैक्टर- 117, 118 एवं 122 में निर्माणाधीन टाईप-1 एवं टाईप-2 फ्लैट के आबंटन हेतु आवेदन के नियम एवं शर्तें:-

1 नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सैक्टर-117,118 एवं 122 में निर्माणाधीन टाईप-1 एवं टाईप-2 फ्लैट के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2016 से 03.03.2016 आमंत्रित किये जाते है ।

2 फ्लैटों की श्रेणी का विवरण:

टाईप-1 (अनुपातिक क्षेत्रफल 32.26 वर्ग मीटर)

फ्लैटों अनुमानित संख्या 1280

भवन का अनुमानित मूल्य (रु०)	पंजीकरण धनराशि(रु०)	आबंटन धनराशि (रु०)	बकाया प्रीमियम (रु०)	अर्द्धवार्षिक किशतों की संख्या	प्रत्येक किशत की धनराशि (रु०)
14,07,000/-	1,40,000/-	2,87,000/-	9,80,000/-	20	78,640/-

टाईप-2 (अनुपातिक क्षेत्रफल 71.07 वर्ग मीटर)

फ्लैटों की अनुमानित संख्या 720

भवन का अनुमानित मूल्य (रु०)	पंजीकरण धनराशि (रु०)	आबंटन धनराशि (रु०)	बकाया प्रीमियम (रु०)	अर्द्धवार्षिक किशतों की संख्या	प्रत्येक किशत की धनराशि (रु०)
30,00,000/-	3,00,000/-	6,00,000/-	21,00,000/-	20	1,68,510/-

फ्लैट के अनुमानित मूल्य की 20% धनराशि आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर भुगतान करना होगा तथा अवशेष धनराशि को 10 वर्षों की छमाही किशतों में उपरोक्त वर्णित तालिका के अनुसार भुगतान करना होगा । प्रथम किशत आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से प्रत्येक 6 माह के अन्तराल पर देय होगी । उपरोक्त वर्णित अनुमानित कीमतें दिनांक 30.6.2016 तक मान्य हैं । आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अनुमानित कीमत का पूर्ण भुगतान करने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । विशेष परिस्थितियों में आबंटन न होने की दशा में प्रथम किशत पर नियमानुसार सामान्य दर से ब्याज देय होगा । समय पर भुगतान न होने की दशा में आबंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा । निरस्तीकरण होने पर फ्लैट की कीमत की 5% धनराशि की कटौती करते हुए शेष धनराशि नियमानुसार बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी ।

3 आवेदन कैसे करें

(क) योजना की विवरणिका रु 1000/- के नकद भुगतान पर निम्न बैंक से दिनांक 02.02.2016 से 03.03.2016 तक बैंकिंग समय में प्राप्त की जा सकती है:-

क्र.सं नाम एवं पता

1. कैनरा बैंक, सैक्टर-6, नौएडा ।
2. विजया बैंक, सैक्टर-18, नौएडा ।
3. यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सैक्टर-6, नौएडा ।
4. आई0एन0जी0 कोटक बैंक, सैक्टर-18, नौएडा ।
5. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, सैक्टर-62, नौएडा ।
6. एच0डी0एफ0सी0 बैंक, सैक्टर-18, नौएडा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

योजना की विवरणिका प्राधिकरण की वेबसाईट www.noidaauthorityonline.com पर उपलब्ध रहेगी। वेबसाईट से विवरणिका डाउन लोड करने की स्थिति में पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त रू० 1000/- का डिमांड ड्राफ्ट प्राधिकरण के पक्ष में देय होगा।

4 पंजीयन:

पूर्ण भरे हुए आवेदन प्रपत्र के साथ निर्धारित पंजीकरण धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट जो कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण(नौएडा) के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली/नौएडा पर देय हो, संलग्न कर उल्लेखित किसी भी निर्धारित बैंक शाखा में जमा कर पावती प्राप्त करेंगे। आवेदक के फोटों एवं हस्ताक्षर बैंक से सत्यापित होने अनिवार्य हैं अन्यथा आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

5 अर्हता:

- (क) आवेदक भारतीय नागरिक हो तथा अनुबन्ध के लिए सक्षम हो।
- (ख) आवेदक, उनके पति/पत्नी तथा/अथवा आश्रित बच्चों के नाम पूर्ण रूप में तथा/अथवा आंशिक रूप में कोई भी आवासीय भूखण्ड/फ्लैट पट्टे अथवा किराया क्रय अभिधृति अनुबन्ध के आधार पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा आबंटित नहीं होना चाहिए।
- (ग) आवेदक, उनके पति / पत्नी/आश्रित बच्चों ने नौएडा क्षेत्र में पूर्व में कोई आवासीय भूखण्ड/फ्लैट का आबंटन प्राप्त कर अन्तरित नहीं किया हो।
- (घ) आवेदक, उनके पति/पत्नी तथा/अथवा आश्रित बच्चे किसी भी एक फ्लैट के आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर समस्त आवेदन पत्र निरस्त करते हुए पंजीकरण धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

6 आबंटन की प्रक्रिया:

1. आवेदको द्वारा सैक्टर- 117, 118 एवं 122 में निर्माणाधीन टाईप-1/टाईप-2 फ्लैट के उपलब्ध फ्लैटो हेतु निर्धारित बैंक शाखा में वांछित पंजीयन धनराशि सहित आवेदन प्रपत्र जमा कराये जा सकते हैं। पंजीयन के आधार पर फ्लैट का आबंटन मैन्युअल तरीके से लाटरी द्वारा किया जायेगा। यदि प्राप्त आवेदनो की संख्या उपलब्ध फ्लैटो से कम होती है तो लाटरी केवल फ्लैट संख्या निकालने हेतु की जायेगी। लाटरी हेतु स्थान एवं समय की घोषणा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी।

2. इस योजना से सम्बन्धित आवेदन प्रपत्र बैंक ड्राफ्ट के साथ प्राप्त किये जाएंगे। आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। अपूर्ण तथा / अथवा शर्तों के साथ प्रपत्र प्रत्यक्षतः विचारणीय नहीं होगा एवं अनर्ह होगा। आवेदक/आबंटी के पते में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना उप महा प्रबन्धक(भवन) को केवल पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

3. आबंटन हेतु उपलब्ध फ्लैटों का प्रकार, मूल्य, भुगतान का विवरण सारिणी में उल्लेखित है । बिना किसी पूर्व सूचना के समय-समय पर इसमें तथा/अथवा सभी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन, जिसमें उपलब्ध फ्लैटों की संख्या में परिवर्तन भी सम्मिलित होगा, करने का अधिकार नौएडा प्राधिकरण का होगा ।
4. आवेदन प्रपत्र के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया रूप में उक्त सूचना प्राधिकरण द्वारा स्वीकार की जाएगी तथा आवेदक का नाम लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा । आवेदक की अर्हता औपचारिक रूप से आबंटित फ्लैट से सम्बन्धित विधिक प्रलेखों के निष्पादन तथा कब्जे के समय मूल्यांकित की जाएगी।
5. फ्लैट का आबंटन जैसा है जहाँ है, के आधार पर 90 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर किया जायेगा जिसके लिए आबंटनी को पट्टा-सह विक्रय प्रलेख का निष्पादन एवं पंजीकरण कराकर कब्जा प्राप्त करना होगा ।

7 भुगतान की रीति:

- 1 आबंटनी को आबंटन राशि का भुगतान आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों में करना होगा तथा बकाया राशि का भुगतान 10 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित 20 छमाही किश्तों में करना होगा ।
- 2 आबंटन राशि जमा करने हेतु सामान्यतया कोई समयवृद्धि अनुमत्य नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि में आबंटन राशि जमा नहीं करने पर आबंटन निरस्त कर दिया जायेगा । निरस्तीकरण की दशा में भवन की कुल कीमत की 5% राशि कटोती कर शेष पंजीयन राशि वापिस कर दी जायेगी । विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी द्वारा यदि समयवृद्धि स्वीकृत की जाती है तो ऐसी दशा में 13% की दर से छमाही चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा ।
- 3 किस्तों एवं अन्य देय राशियों का निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने की दशा में आबंटन का निरस्तीकरण कर दिया जायेगा तथा भवन की कीमत की 5% राशि कटोती कर शेष राशि वापिस की जायेगी । सक्षम अधिकारी द्वारा समयवृद्धि दिये जाने की दशा में विलम्ब अवधि पर 13 प्रतिशत छमाही चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा ।
- 4 आबंटनी द्वारा जमा की गयी धनराशि को पहले भू-भाटक तत्पश्चात् देय किस्तों के ब्याज में क्रमशः समायोजित किया जायेगा ।
- 5 आबंटन के पश्चात सभी भुगतान नगद अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली/नौएडा पर देय हो, के रूप में अधिकृत बैंक शाखाओं में आबंटनी द्वारा जमा किये जायेंगे । समस्त देय धनराशियों को समय से भुगतान न किये जाने पर प्राधिकरण को बकाया राशि भू-राजस्व के रूप में वसूले जाने का अधिकार होगा ।
- 6 चैक द्वारा कोई भी भुगतान नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं होगा ।

प्राधिकरण द्वारा गत वर्षों में समय-समय पर प्रसारित की गई योजनाओं में आमतौर पर सफल आवेदकों को फ्लैट/भवनों के विरुद्ध आबंटन धनराशि/पूर्ण भुगतान 30 दिनों के अंदर जमा करने की सुविधा प्रदान की गयी ऐसा भी संज्ञान में आया है कि जिस दिन सफल

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदको की भुगतान की अंतिम तिथि होती है, उस दिन सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में सफल आवेदक/आवंटी उस दिन देय धनराशि को जमा करने में असमर्थ रहते हैं। नियत अवधि में भुगतान नहीं करने की दशा में विवरणिका के नियम एवं शर्तों के आधार पर आवंटन निरस्त किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सफल आवेदक आवंटन बचाने हेतु न्यायालय की शरण लेते हैं जिससे प्राधिकरण पर वित्तीय बोझ पड़ता है व प्रशासनिक समय लगता है। अतः यदि जमा किये जाने की अंतिम तिथि कतिपय कारणों से बैंको का अवकाश होने की दशा में देय अंतिम तिथि को अगले कार्यदिवस अर्थात् 31/61वे दिन मानते हुए स्वीकार कर लिया जायेगा। योजना की अन्य नियम एवं शर्तें विवरणिका(Brochure) में अंकित की गई हैं।

8 समर्पण:

- (क) फ्लैटों के ड्रा होने से पूर्व/आबंटन पत्र जारी होने से पूर्व यदि आवेदक अपना आवेदन पत्र वापिस लेता है तो उसके द्वारा जमा पंजीकरण राशि में से ₹ 10,000/- की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस की जायेगी।
- (ख) यदि आवेदक/आवंटी आबंटन पत्र जारी होने की तिथि के 30 दिन के अन्दर समर्पण करता है तो ऐसी दशा में जमा पंजीकरण धनराशि में से 30% की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
- (ग) यदि आवंटन पत्र की तिथि से 30 दिन के पश्चात एवं 60 दिनों की अवधि में आबंटन का समर्पण करता है तो पंजीकरण धनराशि में से 40% की कटौती करते हुए बकाया राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
- (घ) यदि आवंटन पत्र की तिथि से 60 दिनों के पश्चात तथा कब्जे हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व आबंटन का समर्पण करता है तो पंजीकरण धनराशि में से 50% की कटौती करते हुए बकाया धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
- (ङ) कब्जे की निर्धारित तिथि अथवा कब्जा प्राप्त किये जाने के उपरान्त समर्पण किये जाने की स्थिति में भवन की कुल कीमत की 5% धनराशि की कटौती की जायेगी। उपरोक्त सभी दशाओं में आवंटन द्वारा यदि विलम्ब से जमा की गई धनराशि पर ब्याज, अर्थदण्ड, पट्टा किराया/सेवा शुल्क जमा कराया गया है तो वह न तो वापिस किया जायेगा न ही समायोजित किया जायेगा अर्थात् यह जमा धनराशि पूर्ण रूप से समर्पण कर ली जायेगी।
- (च) असफल/अनर्ह आवेदको को उनके द्वारा जमा पंजीकरण राशि का प्रतिदेय यथावधि सम्बन्धित बैंक द्वारा आबंटन हेतु किये गये ड्रा की तिथि से 60 दिनों के अन्दर बिना किसी ब्याज के किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में इस योजना के अन्तर्गत जमा किया गया आवेदन प्राधिकरण की किसी भी भावी योजना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा एवं जमा धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। केवल आवेदक प्रपत्र का पंजीकरण कराये जाने से प्राधिकरण फ्लैट के आबंटन हेतु बाध्य नहीं है।
- (छ) यदि किसी दैवीय विपदा तथा/अथवा प्राधिकरण के नियन्त्रण के बाहर किसी परिस्थिति के फलस्वरूप यदि प्राधिकरण फ्लैटों का आबंटन/कब्जा देने में असमर्थ है तो सम्पूर्ण पंजीकरण राशि अथवा अन्य जमा राशि जो आबंटन की स्थिति पर निर्भर करेगी उसका नियमानुसार प्रतिदेय कर दिया जायेगा परन्तु कोई ब्याज देय नहीं होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

- (ज) प्राधिकरण किसी भी समय फ्लैट की स्थिति के परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं करेगा ।
- (झ) यदि देय/अतिदेय धनराशि के भुगतान के अंतिम दिन सरकारी अवकाश/रविवार होने पर भुगतान हेतु आगामी कार्य दिवस अंतिम तिथि होगी ।
- (ण) प्राधिकरण आबंटी/पट्टेदार के जोखिम पर प्रत्येक धनराशि का भुगतान स्वीकार करेगा । किसी भुगतान के स्वीकार किये जाने से प्राधिकरण के इस अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं होगा जो देय राशि जमा न करने पर अथवा आबंटन पट्टे की किसी भी शर्त के उल्लंघन पर कर सकता है ।

9 अन्य नियम एवं शर्तें:

9.1 (क) अग्रिम लीजरेन्ट(भू-भाटक) जमा करने के वर्ष से आगामी 10 वर्षों के लिए होगा और प्रत्येक 10 वर्ष बाद लीजरेन्ट (भू-भाटक) में 50% की वृद्धि की जायेगी । एक मुश्त भू-भाटक का भुगतान वार्षिक भू-भाटक के 11 गुणांक जमा किया जा सकता है। एक मुश्त भू-भाटक का भुगतान जमा कराये जाने की तिथि को उस दिन तक का देय वार्षिक भू-भाटक का भुगतान किये जाने के उपरान्त ही मान्य होगा । इस सम्बंध में आबंटी के किसी भी अन्यथा अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा । अग्रिम वार्षिक भूभाटक की राशि की सूचना कब्जे की सूचना के साथ प्रेषित की जाएगी ।

9.1 (ख) यदि कोई सम्पत्ति हस्तांतरित होती है तो हस्तांतरण की दिनांक से उस पर प्राधिकरण के नियम व शर्तों के अनुसार पुनरीक्षित दर से वार्षिक लीजरेन्ट(भूभाटक) देय होगा ।

9.2 (क) आबंटी द्वारा परिम्पत्ति के विरुद्ध बैंक में जमा तिथि(जमा चालन पर अंकित तिथि) को ब्याज गणना हेतु धनराशि जमा तिथि माना जायेगा ।

(ख) आबंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि को पहले देय ब्याज में तथा उसके बाद देय किस्त एवं वार्षिक भू-भाटक में क्रमशः समायोजित किया जायेगा । इस सम्बन्ध में आबंटी के किसी भी अनुरोध अथवा अनुदेश पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(ग) आबंटन के पश्चात सभी भुगतान नवीन ओखला ओद्योगिक विकास प्राधिकरण/नौएडा के पक्ष में देय डिमाण्ड/पे-आर्डर द्वारा जो दिल्ली/नई दिल्ली/नौएडा पर देय हो, के रूप में अधिकृत बैंक शाखाओं में आबंटी द्वारा जमा किये जायेगे । इस सम्बन्ध में आवश्यक चालान अधिकृत बैंक शाखाओं में उपलब्ध रहते हैं । बैंक द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किये जायेगे ।

9.3 सभी उद्देश्य के लिए पट्टा-सह विक्रय प्रलेख के निष्पादन की तिथि को अधिभोग की तिथि माना जायेगा ।

9.3(अ) आबंटी/पट्टेदार आबंटित/पट्टे के फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने एवं सम्पूर्ण/ अप टू डेट किस्तों इत्यादि के भुगतान से पूर्व अन्तरित नहीं करेगा । कब्जा प्राप्त एवं पूर्ण भुगतान/अप टू डेट किस्तों के भुगतान के उपरान्त अंतरण हेतु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। प्राधिकरण फ्लैट के अन्तरण हेतु अनुरोध को को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकता है। यदि अंतरण का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तो इस स्थिति में निर्धारित अंतरण शुल्क देय होगा तथा अंतरण के समय अंतरण ज्ञाप में वर्णित

नियम व शर्तों के अंतरक तथा अंतरणी संयुक्त तथा/अथवा पृथक रूप में मानने को बाध्य होंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर

- (ब) फ्लैट का आबंटन किये जाने पर यदि आबंटी अपने साथ वारिसान/पति-पत्नी-पुत्र-पुत्री को सह आबंटी बनाना चाहता है तो सर्वप्रथम मूल आबंटी के पक्ष में पट्टा प्रलेख का निष्पादन किया जाएगा तदोपरान्त सह आबंटी नियमानुसार बनाया जा सकता है ।
- 9.4 आबंटित फ्लैट केवल आवासीय प्रयोग हेतु होगा । किसी व्यवसायिक कार्यालय /होम ओकूपेशन चलाने/स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी । पशु/वाहन को फ्लैट/सांझे क्षेत्र में रखने की अनुमति नहीं होगी । पट्टेदार कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जो जन साधारण एवं पड़ोसियों के लिए कंटक हो अथवा वातावरण दूषित करें ।
- 9.5 आबंटी/पट्टेदार आबंटित फ्लैट और/अथवा साझा सुविधाओं एवं क्षेत्र में किसी प्रकार की क्षति नहीं करेगा/पट्टेदार निर्मित ढाचें में कोई परिवर्तन/तथा/अथवा अतिरिक्त निर्माण नहीं करेगा । आबंटी/पट्टेदार आबंटित फ्लैट में कोई उपखण्ड तथा/अथवा आबंटित फ्लैट को अन्य फ्लैट/क्षेत्र से समामेलन नहीं करेगा ।
- 9.6 आबंटी/पट्टेदार आबंटित फ्लैट के अतिरिक्त किसी क्षेत्र का प्रयोग/अधिभोग की माँग नहीं करेगा । जहाँ कहीं खुले क्षेत्र का अधिभोग दिया गया है, वहाँ पट्टेदार किसी भी प्रकार का अस्थाई तथा/अथवा स्थाई निर्माण नहीं करेगा ।
- 9.7 आबंटी/पट्टेदार आबंटित फ्लैट तथा उसके परिवेश एवं सभी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा । यदि आबंटित फ्लैट ऐसे परिसर में स्थित है जहाँ अन्य फ्लैट भी निर्मित है तो आबंटी/पट्टेदार अन्य आबंटियों के साथ एक अनुरक्षण समिति की संरचना करेगा जो पूर्ण परिसर को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में अनुरक्षण सुनिश्चित करेगी । आबंटी/काबिजदार को उक्त अनुरक्षण समिति का सदस्य बनना अनिवार्य होगा । अनुरक्षण हेतु आने वाले व्ययों को समिति अपने बाईलाज के अनुसार सदस्यों से प्राप्त करेगी । यदि प्राधिकरण के अनुसार किसी क्षेत्र का उचित अनुरक्षण नहीं है तब प्राधिकरण अनुरक्षण करवा कर जो भी व्यय होगा वह आबंटी/पट्टेदार से संयुक्त रूप में तथा/अथवा पृथक-पृथक रूप से प्राप्त करेगा/अनुरक्षण तथा/अथवा ठीक करने पर व्यय के सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा ।
- 9.8 (क) आबंटी को निर्धारित प्रलेखों के अनुसार नियत अवधि में पट्टा सह विक्रय/तत्प्रचलित 30प्र0 शासन द्वारा लागू स्टाम्प शुल्क दर पर निष्पादित/ पंजीकृत कराकर फ्लैट का कब्जा लेना होगा । विफल होने की दशा में आबंटी के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण द्वारा समयवृद्धि दिये जाने पर टाइप। फ्लैट हेतु ₹0 50/- एवं टाइप॥ फ्लैट हेतु ₹0 100/- प्रतिदिन का भुगतान विलम्ब अवधि के लिए आबंटी को देना होगा । नियत/विस्तारित अवधि के पश्चात प्राधिकरण द्वारा नियम तथा शर्तों के अनुसार आबंटन का निरस्तीकरण एवं जमा राशि को नियमानुसार जब्त/सर्मपण किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

- 9.8 ख) पट्टा सह विक्रय निष्पादन एवं पंजीकरण करने हेतु स्टाम्प शुल्क उपरोक्तानुसार आबंटी द्वारा वहन किये जायेगे । इस सम्बन्ध में पंजीकरण शुल्क,प्रतियां बनवाना एवं अन्य सम्बन्धित आकस्मिक व्यय आबंटी द्वारा वहन किये जायेगे । आबंटी को अचल सम्पत्ति के अंतरण के सम्बन्ध में स्टाम्प ड्यूटी,जो इसके लिये अधिकृत अधिकारी द्वारा लगायी जायेगी तथा/अथवा अन्य शुल्क/प्रभार का वहन भी करना होगा ।
- 9.9 इसके अतिरिक्त आबंटी/पट्टेदार फ्लैट के सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा लगाये गये करो तथा प्रभारो की सभी दरो का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा, भले ही यह प्रभार इस भूखण्ड पर जिस पर फ्लैट बने है अथवा फ्लैट के सम्बन्ध में लगाये गये हो ।
- 9.10 आबंटी/पट्टेदार का यह दायित्व होगा की प्राकृतिक विपदा,अग्नि,दंगो इत्यादि के विरुद्ध फ्लैट का बीमा करवाए। इस सम्बन्ध में प्रीमियम देने के लिए पट्टेदार बाध्य होगा ।
- 9.11 आबंटी /पट्टेदार पानी,सीवर व विद्युत कनेक्शन अपने व्यय पर सम्बन्धित विभाग/कार्यालय से प्राप्त करेगा।
- 9.12 प्राधिकरण की सभी/कोई भी देय राशि भू-राजस्व के रूप में प्राप्त की जा सकती है ।
- 9.12 आबंटित फ्लैट के अन्तर्गत और उसके बाहर सभी खानो,कोयला,खनिजो,प्रक्षालन वस्तुओ,मिट्टी का तेल,खादानो इत्यादि पर और इस सम्बन्ध में उस समय कोई भी कार्य करने का पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व प्राधिकरण के पास सुरक्षित है और ऐसा कोई ठोस काम करने का भी प्राधिकरण को अधिकार होगा जो इस कार्य हेतु किसी चीज की तलाश करने,उसे प्राप्त करने,और वहाँ से हटाने के लिए व आवश्यक समझेगे । आवासीय फ्लैट के तल पर किसी सीधे सहारे (Vertical support) अथवा उस पर कुछ समय के लिए निर्मित किसी भी फ्लैट के सम्बन्ध में उक्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को होगा । इसके लिए निर्मित किसी भी फ्लैट के सम्बन्ध में उक्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को होगा किन्तु इसके लिए प्राधिकरण इस आशय के अधिकारों का प्रयोग करते समय उससे उत्पन्न सभी प्रकार की क्षतियों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से आबंटी/पट्टाधारी को करेगा । समुचित क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अंतिम माना जायेगा, और यह निर्णय आबंटी/पट्टाधारी को भी मान्य होगा ।
- 9.14 आबंटी/पट्टाधारक को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी,अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना फ्लैट को बन्धक रखने का अधिकार नहीं होगा । फ्लैट का पूर्ण भुगतान करने हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया/नेशनल हाउसिंग बैंक से अधिकृत वित्तीय संस्थानो,सरकारी विभाग/संस्थाओं तथा बैंको से ऋण प्राप्त करने की सुविधा हेतु प्राधिकरण द्वारा आबंटियो को बन्धक की अनुमति प्रदान की जा सकती है यह अनुमति सर्वप्रथम आबंटित फ्लैट के बकाया कुल मूल्य(ब्याज सहित) के लिए ही अनुमान्य होगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

- 9.15 आबंटी/पट्टेदार उ0प्र0 औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 के प्रावधानो तथा इसकेअन्तर्गत पारित किये गये नियमों व विनियमों अथवा निर्देशों का पालन करने को बाध्य होगा ।
- 9.16 फ्लैट का प्रयोग आवास के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा । आबटी परिसर को उपविभाजित करने अथवा किसी अन्य परिसर के साथ मिलाने अथवा उस पर कोई अतिरिक्त ढाचा खडा करने अथवा उसमें किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन करने की कार्यवाही, मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा । छत पर किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध है । उपरोक्त के उल्लंघन करने पर आबंटन निरस्त कर दिया जायेगा और परिसर का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापिस ले लिया जायेगा । ऐसी दशा में फ्लैट के सापेक्ष जमा धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी । अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने में हुआ व्यय भी आबंटी से वसूल किया जायेगा । यदि आबंटी फ्लैट का प्रयोग इस प्रकार करता है जो कि आस-पास एवं/अथवा पडोस के लोगो के लिए असुविधाजनक(Nuisance) हो, तो प्राधिकरण आबंटी का आबंटन निरस्त कर सकता है । निरस्तीकरण की दशा में कब्जा वापिस प्राप्त कर फ्लैट के सापेक्ष में जमा समस्त धनराशि के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी ।
- 9.17 योजना की विवरणिका/आबंटन/पट्टा-सह-विक्रय प्रलेख की किसी भी शर्त एवं नियमो के उल्लंघन किये जाने की दशा में अथवा मिथ्यारोपण/मिथ्या कथन अथवा धोखे के आधार पर आबंटन प्राप्त किये जाने की दशा में प्राधिकरण आबंटन निरस्त कर विधिक प्रलेखो का पर्यावसान/निरस्तीकरण कर फ्लैट का कब्जा वापिस ले लेगा । ऐसी स्थिति में फ्लैट के सापेक्ष में जमा समस्त धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में समप्रहरित कर ली जायेगी । ब्याज,अर्थदण्ड, पट्टा किराया,पुर्नस्थापना शुल्क,हस्तान्तरण शुल्क इत्यादि के मद में जमा राशि न तो वापिस की जायेगी और न ही समायोजित की जायेगी,बल्कि पूर्ण रूप में प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी ।
- 9.18 मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि समय-समय पर आबंटन की शर्तो में कोई परिवर्तन या संशोधन करते हैं तो वे आबंटी पर बाध्यकारी होगा ।
- 9.19 पंजीकरण,आबंटन,पट्टे के इन नियम व शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा उसकी व्याख्या करने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और आबंटी के लिए बाध्यकारी होगा ।
- 9.20 किसी भी विवाद का निपटारा सक्षम जिला न्यायालय, गौतम बुद्ध नगर तथा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के क्षेत्राधिकार में होगा ।
- नोट- (1) फ्लैटों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त फ्लैटों का ड्रा/किराया क्रय अभिद्यृत/पट्टा प्रलेख एवं कब्जा तदोपरान्त निर्गत किया जाएगा ।
(2) फ्लैटों की कीमत अनन्तिम है तथा आबंटन की दशा में आबंटी को फ्लैट की अंतिम कीमत का भुगतान करना होगा तथा किसी प्रकार का तर्क अंतिम कीमत के संबंध में मान्य नहीं होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

